दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे

South East Central Railway

कार्मिक विभाग, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर

Personnel Department, Divisional Railway Manager office, Bilaspur

No. SBF/ मंडल कैंटीन/Open Tender/01, दिनांक: 20-10-2023

अधिसूचना

मंडल रेल प्रबंधक / बिलासपुर/ दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, के कार्यालय परिसर में स्थित मंडल कैन्टीन का संचालन निर्धारित नियमो / शर्तो के तहत दो वर्षो की अवधि के लिए खुली निविदा के माध्यम से करने हेतु निविदा आमंत्रित किया जाता हैं।

1. निविदा प्रपत्र दिनाँक 20-11-2023 से 28-11-2023 तक कार्य दिवस में समय 11.00 बजे से 16.00 बजे तक भंडार अनुभाग, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी/ बिलासपुर के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता हैं। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते द.पू.म.रेलवे के वेबसाइट www.secr.indianrailways.gov.in के Dept./Div of SECR- Bilaspur Division-Personnel-Notification पर भी उपलब्ध रहेगा ।
2. निविदा प्रपत्र दिनाँक 21-11-2023 से 28-11-2023 तक कार्य दिवस में समय 11.00 बजे से 16.30 बजे तक भंडार अनुभाग, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी/ बिलासपुर के कार्यालय में जमा किया जा सकता हैं।
3. दिनाँक 28-11-2023 के 16.30 बजे के बाद प्राप्त निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त निविदा प्रपत्र दिनाँक 28-11-2023 के 17.00 बजे उपरवर्णित कार्यालय में खोले जायेंगे।

20/10/23

सहायक कार्मिक अधिकारी –I
कृते वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी
दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे /बिलासपुर

Scanned with OKEN Scanner

निविदा अनुसूची एवं विशेष शर्ते

No. SBF/ मंडल कैंटीन/Open Tender/01,

दिनांक: 20-10-2023

अमानती राशि (Earnest Money):- रुपये 10,000/- (दस हजार मात्र) बिंना अमानती राशि के निविदा प्रपत्र निरस्त कर दिया जाएगा

कार्य का विवरण	मानक दर	अनुलग्न –A में सलग्न मानक दर हेतु विभागीय स्वीकृत मूल्य सूची के सरल क्रमांक 01 से 26 तक प्रस्तावित दरों के कुल जोड़ (Total)
मंडल रेल प्रबंधक / बिलासपुर, कार्यालय परिसर में स्थित मंडल कैन्टीन का संचालन खुली निविदा के माध्यम से 02 वर्षो की अवधि के लिए करने बावत	मानक दर हेतु विभागीय सूची अनुलग्न –A में सलग्न है।	

नोट :-

1. निविदाकर्ता को चाहिए कि केवल इस शीट के निर्धारित स्थान पर ही प्रत्येक वस्तु के लिए एकल दर का उल्लेख करें। एकल दर पूर्णांक में होना चाहिए। 50 (पचास) पैसे तथा ऊपर के गुणक को अगले पूर्ण रूपये में दर्शाया जाए तथा इससे नीचे के गुणक पिछले पूर्ण रुपये में दर्शाया जाए।
2. निविदाकर्ता द्वारा अनुलग्न –A में सलग्न मानक दर हेतु विभागीय स्वीकृत मूल्य सूची के सरल क्रमांक 01 से 26 तक प्रस्तावित दरों के कुल जोड़ (Total) के आधार पर ही निविदा का निर्णय किया जाएगा।
3. निविदा प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ में उल्लेखित शर्तो के अनुसार (जैसे: कैंटीन संचालन हेतु प्राईवेट ठेकेदार को कम से कम पाँच वर्षो का अनुभव का प्रमाण पत्र एवं खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत वर्तमान वैधता (Valid) पंजीकरण का प्रमाण पत्र) को संलग्न नहीं करने पर निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा एवं निविदा को निरस्त कर दिया जाएगा।
4. आवेदन पत्र पर दरों का उल्लेख अंको तथा शब्दों दोनों में लिखा जाए किसी विसंगति के मामले में शब्दों में उल्लेखित दर को प्रस्तावित दर के रूप में स्वीकार किया जायेगा।
5. प्रस्तावित दर में संशोधन वर्जित है इसमे किसी प्रकार की काट-छाँट न की जावे अपरिहार्य परिस्थिति में की गई त्रुटि संशोधित रूप में पुनः दर्शायी जा सकती है, जिसे हस्ताक्षर कर सत्यापन किया जाना अनिवार्य होगा।
6. निविदाकर्ताओ के शर्तो (Conditional Offers) के साथ संलग्न निविदाओ को रद्द किया जा सकता हैं।

सहायक कार्मिक अधिकारी –I
कृते वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी
दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे /बिलासपुर

Scanned with OKEN Scanner

नवीनतम फोटोग्राफ

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर
आवेदन पत्र का प्रारूप

क्र	विषय वस्तु	विवरण
1	नाम	
2	पिता का नाम	
3	पत्र व्यवहार का पता	
4	वर्तमान मे व्यवसाय	
5	शैक्षणिक योग्यता	
6	कैन्टीन संचालन हेतु कार्य अनुभव का विवरण (प्रमाण पत्र की स्व- हस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें)	
7	यदि पूर्व में रेलवे में कार्य किया हो तो उसका विवरण दे कि कहाँ पर कार्य किया है।	
8	निविदा पत्र के साथ अमानती राशि (Earnest Money) रुपये 10,000/- (दस हजार) मात्र धनादेश (Demand Draft) के रूप में (उसका विवरण दे) जैसे जारीकर्ता बैंक का नाम, दिनौंक एवं क्रमांक :	
9	कोई आपराधिक प्रकरण लंबित / विचारधीन तो नहीं, यदि है तो उसका विवरण दें।	
10	पैन नंबर (छाया प्रति सलग्न करें)	
11	मोबाइल नंबर	
12	आधार नंबर (स्व- हस्ताक्षरित छाया प्रति सलग्न करें)	
13	खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत पंजीकरण का विवरण: जारीकर्ता एवं तारीख: वैधता की तारीख: (प्रमाण पत्र की स्व- हस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें)	
14	मै समिति द्वारा सूचीबद्ध मदों की मूल्य सूची / प्रस्तावित दर संलग्न कर रहा हूँ।	

दिनांक:
स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम :
मोबाईल नंबर:

गवाह के हस्ताक्षर
नाम व पता
मोबाईल नंबर
आधार नंबर

20/10/23

सहायक कार्मिक अधिकारी –I
कृते वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी
दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे /बिलासपुर

Scanned with OKEN Scanner

वर्तमान स्वीकृत मूल्य सूची की दरें (अनुलग्न –A)

क्रमांक	सामग्री	मात्रा/नग	वर्तमान दर (रुपये में) समस्त कर सहित	ठेकेदार द्वारा निर्धारित दर समस्त कर सहित
		भोजन थाली (एक दाम)		
1.	चावल	100 ग्राम	₹ 35 /-	
	रोटी	4 नग		
	दाल	100 ग्राम		
	सब्जी- 02 प्रकार की	75 ग्राम प्रति सब्जी		
	अचार	10 ग्राम		
	सलाद	50 ग्राम		
	पापड़	1 नग		
2.	पूरी –सब्जी	5 नग पूरी एवं 100 ग्राम सब्जी	₹ 15 /-	
3.	अंडा करी	1 अंडा	₹ 10 /-	
4.	ऑमलेट	1 अंडा	₹ 10 /-	
5.	अंडा भूजी	1 अंडा	₹ 10 /-	
6.	ब्रेड- आमलेट	2 ब्रेड 1 अंडा	₹ 15 /-	
7.	मसाला डोसा,सांभर,चटनी	1 नग	₹ 18 /-	
8.	सादा डोसा,सांभर,चटनी	1 नग	₹ 10 /-	
9.	मसाला उपमा	150 ग्राम	₹ 10 /-	
10.	इडली – प्लेट	3 नग प्रति नग 75 ग्राम	₹ 10 /-	
11.	सांभर बड़ा	2 नग प्रति नग 100 ग्राम	₹ 15 /-	
12.	मूंग बड़ा	100 ग्राम	₹ 10 /-	
13.	उड़द बड़ा	2 नग प्रति नग 100 ग्राम	₹ 10 /-	
14.	कटलेट/समोसा/आलू गूंडा	2 नग प्रति नग 50 ग्राम	₹ 10 /-	
15.	आलू पैटिस	1 नग (75 ग्राम)	₹ 10 /-	
16.	ढोकला	2 नग (75 ग्राम)	₹ 15 /-	
17.	सलौनी	100 ग्राम	₹ 10 /-	
18.	ब्रेड- बटर	बटर के साथ 4 नग	₹ 15 /-	
19.	ब्रेड- सैंडविच	आलू मसाला के साथ 1 जोड़ा ब्रेड	₹ 20 /-	
20.	बालूशाही	1 नग 50 ग्राम	₹ 5 /-	
21.	बूंदी लड्डू	1 नग 50 ग्राम	₹ 5 /-	
22.	गुलाब जामुन	1 नग 30 ग्राम	₹ 5 /-	
23.	रसगुल्ला	1 नग 30 ग्राम	₹ 5 /-	
24.	चाय	75 एमएल	₹ 5 /-	
25.	कॉफी	100 एमएल	₹ 10 /-	
26.	दूध	100 एमएल	₹ 10 /-	
27.	बिस्कुट	पैकेट बंद	एमआरपी	
28.	पानी बोतल	1 लीटर	₹ 15 /- या एमआरपी,जो भी कम हो	
29.	फ्रूट जूस	पैकेट बंद	एमआरपी	
30.	लस्सी/दही/छांछ	पैकेट बंद	एमआरपी	
31.	कोल्ड ड्रिंक	पैकेट बंद	एमआरपी	
32.	अमूल कूल	पैकेट बंद	एमआरपी	
33.	आइसक्रीम	पैकेट बंद	एमआरपी	

20/10/23

सहायक कार्मिक अधिकारी –I
कृते वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी
दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे /बिलासपुर

Scanned with OKEN Scanner

कैंटीन संचालन हेतु नियमवाली एवं विशेष शर्ते

1. कैंटीन का संचालन लगभग 1200 कर्मचारी / आगंतुकों के लिये होगा।
2. प्राईवेट ठेकेदार को समिति की तरफ से केवल निर्णित सुविधाएं जैसे फर्नीचर रसोई के बड़े बर्तन फिज, ग्राइंडर / मिक्सर आदि दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सुविधा नहीं दी जायेगी।
3. चुकि कैंटीन बिना किसी लाभ या हानि के आधार पर चलता है, अतः विजली का बिल (रसोई घर) रेल नियमों के तहत समिति द्वारा निर्धारित की गई दर से देय होगा।
4. कैंटीन संचालन का कार्यकाल दो वर्षो के लिए होगा। आवश्यकता अनुसार इसी शर्तो के आधार पर निविदा को आगामी तीन महीने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।
5. कैंटीन संचालन में खान-पान की दरें एवं मात्रा समिति तय करेगी। कैंटीन में बेचे जाने वाले हर खाद्य सामग्री की उत्कृष्ट गुणवता की जांच कच्चे माल से लेकर कोई भी खाद्य सामग्री तक संचालन समिति करेगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता जिसे समिति द्वारा उजागर किया जाता है फर्म के द्वारा तत्काल सुधार किया जाना चाहिए। अन्यथा अनिवार्य टोकन पेनाल्टी समिति द्वारा जारी की जा सकती है।
   फर्म द्वारा किसी भी अनुदेश के अवहेलना पर विशेषत: खाद्य पदार्थों की उत्कृष्टता गुणवत्ता पर ध्यान न देने पर समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय ठेका को निरस्त कर सकती है एवं धरोहर राशि को जप्त किया जायेगा।
6. कैंटीन में बनने वाली खाद्य सामग्री का मीनू समिति तय करेगी। वर्तमान मेन्यू एवं दर अनुलग्नक A के रूप में सलग्न है।
7. कैंटीन संचालन हेतु प्राईवेट ठेकेदार को कम से कम पाँच वर्षो का अनुभव होना चाहिए।
8. आवेदन पत्र के साथ अमानती राशि रुपये 10000/- (दस हज़ार) मात्र धनादेश (Demand Draft) के रूप में SENIOR DIVISIONAL PERSONNEL OFFICER द. पू. मध्य रेलवे बिलासपुर के नाम पर देय होगा। जिसे निरस्त / अमान्य आवेदकों को निविदा के पूर्ण होने के पश्चात् वापस किया जायगा।
9. चयन किये गये आवेदन पत्र के आवेदक को कैंटीन संचालन हेतु धरोहर राशि सुरक्षा निधी (सिक्यूरिटी) रु.50000/- (पचास हजार) मात्र धनादेश के रूप में SENIOR DIVISIONAL PERSONNEL OFFICER द. पू. मध्य रेलवे बिलासपुर के नाम पर देय होगा / जमा करानी होगी।
10. प्राईवेट ठेकेदार को कैंटीन की साफ- सफाई, बैठने की व्यवस्था, खाने पीने की वस्तुओं की मात्रा व गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा।
11. कैंटीन में शराब व धूम्रपान वर्जित होगी / यदि कोई व्यक्ति कैंटीन में शराब या मादक पदार्थों का सेवन करता हुआ पाया जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी कैंटीन ठेकेदार की होगी। यदि ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो ठेकदार के उपर जुर्माना लगाया जायेगा जो कि कम से कम रु 5000/- होगा तथा ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।
12. कार्यालय के कार्य दिवसों में कैंटीन समयानुसार आवश्यकतानुसार ही खोली जायेगी जिसका समय समिति निर्धारित करेगी। आवश्यकतानुसार समय में परिवर्तन समिति कर सकती है।

20/10/21

सहायक कार्मिक अधिकारी –I
कृते वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी
दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे /बिलासपुर

Scanned with OKEN Scanner

13. कैंटीन में लगे हुए सभी समानों की मरम्मत एवं देखभाल ठेकेदार को करना होगा।
14. कैंटीन में उपलब्ध रेलवे सम्पति की जिम्मेदारी प्राइवेट ठेकेदार की होगी तथा संबंधित रेलवे सम्पति का कोई नुकसान या चोरी हुआ तो उसकी कीमत प्राइवेट ठेकेदार से वसूल किया जायेगा।
15. कैंटीन से निकला कचरा एवं अवशिष्ट पदार्थ के संपूर्ण निपटारा नियमानुसार करने की जिम्मेदारी प्राईवेट ठेकेदार की होगी।
16. यदि कैंटीन के खाने-पीने की व्यवस्था में किसी प्रकार की विषैली चीज या नशे वाली चीजें मिली तो प्राईवेट ठेकेदार जिम्मेदार होगा तथा इसके लिये प्राईवेट ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
17. प्राईवेट ठेकेदार को निष्पक्ष भाव से कैंटीन चलाना होगा और संचालन समिति के निर्णीत बिंदुओं के आधार पर ही कैंटीन का संचालन होगा।
18. कैंटीन में कार्यरत कर्मचारियों को कोई संकामक बीमारी न हो इसकी सरकारी डॉक्टरी द्वारा जांच की रिपोर्ट निविदा मिलने के सात दिनो के भीतर ठेकेदार को कार्यालय में जमा करानी होगी।
19. कैंटीन में कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध कोई अपराधी प्रकरण लंबित न हो इस कारण कैंटीन के कार्यरत कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट ठेकेदार द्वारा निविदा मिलने के सात दिनो के भीतर ठेकेदार को कार्यालय में जमा करानी होगी।
20. कैंटीन में कम से कम तीन कुक व छः वेटर होना जरूरी है कैंटीन ठेकेदार के सभी कर्मचारी वयस्क (उम्र 18 साल या उससे अधिक) होना चाहिये।
21. कैंटीन में कार्यरत ठेकेदार के कर्मचारीयों को साफ-सुथरा यूनिफार्म एवं बैच पहनना जरूरी है। कर्मचारियों को पहनने हेतु यूनिफार्म एवं बैज ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
22. यदि दो या अधिक ठेकेदारों की दर एक समान प्रस्तावित करने स्थिति में ठेके का निर्णय संचालन समिति अपने विवेक के आधार पर करेगी।
23. उपरोक्त नियमों में समय समय पर संशोधन समिति द्वारा किया जा सकेगा। समिति द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा जिसे ठेकेदार मानने हेतु बाध्य रहेगा।
24. खाद्य वस्तु विक्रय अधिनियम के तहत् यदि स्थानीय निकाय/ राज्य / केन्द्र शासन द्वारा अधिघोषित नियमों में आवश्यक अनुमति / लाईसेंस ठेकेदार द्वारा प्राप्त स्वयं अपने खर्च पर करना होगा। इसके साथ ही इस कार्य हेतु लगाए के कर्मचारीयो / श्रमिको का भुगतान जैसे न्यूनतम वेतन, पी.एफ एवं अन्य देय राशि केन्द्रीय /राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडो के अनुसार प्रदान करने की सम्पूर्ण ज़िम्मेदारी होगी।
25. ठेका निरस्त होने स्थिति में उपलब्ध कराये गये समस्त सामानों को यथावत स्थिति में समिति को वापस करने पर ही घरोहर राशि वापस की जा सकेगी।
26. कैंटीन संचालन के लिये किसी भी विषय पर अतिम निर्णय संचालन समिति का होगा।
27. ठेकेदार को 100/- रु के नाम जूडिशियल पेपर पर नियमों / शर्तों की सहमति बावात इकरारनामा देना होगा।
28. विशेष अवसर पर छुट्टियों के दिन जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी, कार्यालयीन सभा / मंडल रेल प्रवंधक सभा कक्ष में आयोजित समारोह, रेल सप्ताह अवार्ड एवं प्रशासन के द्वारा घोषित किये गये अवकाश के दिन पूर्व सूचना देने पर कैटीन को खुला रखना होगा तथा खाद्य सामाग्री भी सभास्थल/कार्यस्थल पर उपलब्ध कराना होगा।
29. Railway Board's General Condition of Contract for Service 2018 and updated with correction slips time to time will be applicable for this tender.

सहायक कार्मिक अधिकारी –I
कृते वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी
दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे /बिलासपुर

Scanned with OKEN Scanner